रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1972/चैत्र 5, 1894

No. 92] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1972/CHAITRA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

2 JUL 1972

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th March 1972

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. G.S.R. 1482, dated the 21st June, 1969, G.S.R. 862, dated the 28th May, 1970, G.S.R. 1406, dated the 23rd September, 1971 and G.S.R. 1730, dated the 12th November, 1971, the Central Government hereby specifies the following excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in Item Nos. 18C, 18D, 18E and 22AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 117/72.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

सा०का०नि० 211(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1482, तारीख 21 जून, 1969, सा० का० नि० 862, तारीख 28 मई, 1970, सा० का० नि० 1406, तारीख 23 सितम्बर, 1971 और सा० का० नि० 1730, 12 नवम्बर, 1971 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क योग्य माल को ऐसे उत्पाद-शुल्क योग्य माल के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है जिनको उक्त नियमों के अध्याय 7-क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

माल जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18-ग, 18-घ, 18-ङ और 22-कक के अन्तर्गत आते हैं ।

[सं० 117/72]

एस० पी० कम्पानी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972